PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2/9 दिनांकः 21 .08.2021

विषयः उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर किये गये आन्दोलन की अवधि के वेतन का समायोजन सम्बन्धित कार्मिकों के देय अवकाश में किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा दिनांक 27.07.2021 की प्रथम पाली (मध्यरात्रि) से अनिश्चितकालीन हड़ताल किये जाने की सूचना के क्रम में कारपोरेशन पत्रांक 1391/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2/9 दिनांक 25.07.2021 द्वारा आन्दोलन में भाग लेने वाले कार्मिकों को किसी तरह का अवकाश स्वीकृत न किये जाने तथा आन्दोलन में भाग लेने वाले कार्मिकों पर **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** का सिद्धान्त पूर्णतः लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2021 को सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन एवं दिनांक 27.07.2021 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ आहूत बैठकों के कार्यवृत्त में, 'उक्त आन्दोलन में शामिल किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही (वेतन कटौती, अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलम्बन इत्यादि) नहीं की जायेगी' उल्लिखित है।

इस सम्बन्ध में वार्ता में बनी सहमति के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 27.07.2021 को आन्दोलन/हड़ताल में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों की आन्दोलन/हड़ताल की अवधि को उनके आकस्मिक अवकाश /अन्य देय अवकाश में समायोजित करवाने का कष्ट करें।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

पत्रांकः 1509/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2/9, तददिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
1. निजी सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)